न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 39/2016/डिक्री

1. भैरू पिता मोतीलाल महाजन
2. मु. प्रेम पुत्री मोतीलाल महाजन
3. मु. गीता पुत्री मोतीलाल महाजन
4. मु. लीला पुत्री मोतीलाल महाजन

सभी निवासी बबराना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कपासन
दिनांक 14/03/2015 क्रमांक 79/2006

उपस्थित – 1. श्री चम्पालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा–राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक – 16.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ग्राम बबराना की आराजी नम्बर 1179/18 रकबा 10 बीधा श्री मोतीलाल जो अपीलान्ट के पिता है खातेदारी मे दर्ज थी। स्वर्गीय मोतीलाल का स्वर्गवास पश्चात् वादीगण अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई। भू–प्रबन्ध के दौरान क्षैत्राधिकार से परे जाकर गत भू–प्रबन्ध से बनी आराजी नम्बर 12 रकबा 1.74 है0 को बिलानाम दर्ज कर दिया। जिसकी खातेदारी हेतु प्रस्तुत वाद को अवैध रूप से खारीज किया है जो पूर्णतया अवैध है। भू–प्रबन्ध विभाग को मात्र पुरानी एन्ट्रीज को ही रिपीट किया जाना चाहिये था। विपक्षी रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया कि भूमि अपीलान्ट की खातेदारी मे भू–प्रबन्ध पूर्व थी तब निश्चित रूप से क्षैत्राधिकार से परे जाकर वादीगण का नाम हटाया जावे तो पूर्णतया अवैध है। अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की साक्ष्य अखण्डित रही है। कमिश्नर रिपोर्ट भी वादी अपीलान्ट के कथन की ताईद करते है। फिर भी अपीलान्ट का वाद खारीज किया है जो पूर्णतया शून्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रेस्पोडेन्ट के कर्मचारी कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट वादी के कथन की ताईद करते है। स्पष्ट है वादी का वाद डिक्री किया

जाना चाहिये था। अपीलान्ट को निर्णय की कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट स्वंय बाहर रहता था। धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्त की जाकर ग्राम जेतपुरा तहसील कपासन की आराजी नम्बर 12 रकबा 1.74 है0 वादीगण अपीलान्टस की खातेदारी की घोषित की जावे।

2. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि राजस्व ग्राम बबराना तहसील कपासन का खसरा नम्बर 1179/18 रकबा 10 बीघा का आंवटन श्री मोतीलाल को हुआ था जिसकी खातेदारी भी मिल चुकी थी। भू–प्रबन्ध के दौरान आराजी नम्बर 1179/24 का नया रकबा 24 बना जिसमे से 0.27 है0 की खातेदारी तो अपीलान्ट के हक मे दे दी गई परन्तु उसी खसरे से बने नये नम्बर 12 जिसका रकबा 1.74 है0 है, को बिलानाम कर दी गई। खसरा नम्बर 1179/18 का उल्लेख जहां है उसके आगे नये खसरा नम्बर 12 नही लिखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/02/2011 को कमिश्नर रिपोर्ट मंगाई गई जिसमे कब्जा माना गया है। ऐसी सूरत मे अपीलान्ट नया नम्बर 12 रकबा 1.74 बीघा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड एवं कमिश्नर रिपोर्ट पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

3. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया इस प्रकरण मे निर्णय के साल भर बाद अपील की गई है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे दिन प्रतिदिन की देरी का उल्लेख नही किया गया है। अपीलान्ट बतौर अतिकमी बिलानाम भूमि पर काबिज है जिस पर थोहर की बाउण्ड्री बना रखी है। मिलान खसरे के अनुसार नया नम्बर 12 पुराना खसरा नम्बर 1179/18 से बनना नही पाया जाता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद खारीज किया है जो विधिसम्मत है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट मयाद बाहर एवं सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि मिलान खसरे के अनुसार नया नम्बर 12 पुराना खसरा नम्बर 1179/18 से बनना नही पाया जाता है। इसी

वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का वाद खारीज किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 79/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 14/03/2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़